संख्या-103/2017/1649/26-3-2017-10(10)/2005 टी.सी.।।

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 29 जून, 2017

विषयः- जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में छात्र/छात्राओं तथा शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों की उपस्थिति बायोमेट्रिक पद्धति से कराये जाने हेतु धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-285-86/स0क0/आ0प0वि0-प्रकोष्ठ/ए0टी0एस0-बायो0-उपस्थि0/2017-18 दिनांक-09.06.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं तथा शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों की उपस्थिति बायोमेट्रिक पद्धति से कराये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2225- 01-789-12-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति मद में प्राविधानित धनराशि रूपया-2600.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम 05 माह (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017) तक स्वीकृत लेखानुदान रूपया-1083.33 लाख (रूपये दस करोड़ तिरासी लाख तेतीस हजार मात्र) के सापेक्ष रूपया-33.60 लाख (रूपये तेतीस लाख साठ हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-59/2017/910/26-3-2017-10(10)/2005 टी.सी.-।, दिनांक-26.04.2016 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन हेतु लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियो के लिये विशेष घटक योजना-12-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-43-सामग्री सम्पूर्ति मद में प्राविधानित धनराशि रूपया-2600.00 लाख (रूपये छब्बीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम 05 माह (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017) तक स्वीकृत लेखानुदान रूपया-1083.33 लाख (रूपये दस करोड़ तिरासी लाख तेतीस हजार मात्र) निदेशक, समाज कल्याण के निवर्तन पर रखे जाने की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

3- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं तथा शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों की उपस्थिति बायोमेट्रिक पद्धति से कराये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2225-01-789-12-43-सामग्री सम्पूर्ति मद में प्राविधानित धनराशि रूपया-2600.00 लाख (रूपये छब्बीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम 05 माह (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017) तक स्वीकृत लेखानुदान रूपया-1083.33 लाख (रूपये दस करोड़ तिरासी लाख तेतीस हजार मात्र) के सापेक्ष **रूपया-33.60 लाख (रूपये तेतीस लाख साठ हजार मात्र)** की प्रशासकीय स्वीकृति/अनुमति निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों और सेवाओं पर व्यय के लिये न किया जाय।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि से विद्यालयों के उपयोगार्थ सामग्री एवं सम्पूर्ति आदि का क्रय समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं स्टोर पर्चेज रूल्स के तहत किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग करने के पश्चात उपयोगित प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनुसचिव।

संख्या-103/2017/1649/(1)/26-3-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2- प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
5- राज्य योजना आयोग अनु0-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
8- सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0।
9- सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0।
10- सम्बन्धित अधीक्षक/प्राधानाचार्य, जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, उ0प्र0
11- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।